


18-01-23 पत्रावली पेश। कोई हाजिर नहीं। वादी एवं
वकील वादी को दफ्ते न्यायालय में जेल-जेल
से अन्वयें लगाई गई लेकिन फिर भी न्यायालय
में हाजिर नहीं। धन: यह पत्रावली अदम
पैरवी एवं अदम हाजरी में इसी स्तर पर कार्रवा
मी जाती है। पत्रावली वाद लखी लखमील
दोहा हाजिर हुआ हो।


(अमिता मिश्रा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना